आज का दिन 1972 में सोवियत रूस का मानव-रहित अंतरिक्षयान लूना 20 चांद पर उतरा।

सहमति बनाने को बुलाई समिति की बैठक

आपसी सहयोग से होगा महोत्सव

कहलगांव | **निज प्रतिनिधि**

बैठक 28 को

- सरकार और प्रशासन से लोगों का डिगने लगा विश्वास
- विक्रमशिला नागरिक समिति आगामी बैठक में लेगी फैसला

विक्रमशिला महोत्सव के स्थगन की खबर से एक ओर जहां विक्रमशिला क्षेत्रवासियों में मायूसी है तो दूसरी ओर सरकार और जिला प्रशासन से विश्वास डिगने लगा है। विक्रमशिला नागरिक समिति ने 28 फरवरी को कहलगांव में बैठक बुलाई है जिसमें विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में आपसी सहयोग से भी महोत्सव आयोजन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

मालूम हो कि पिछले तीन सालों से लगातार महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया है। इस बार चौथे साल भी महोत्सव के अधर में लटकने की संभावना है। वर्ष 2007 से महोत्सव आयोजन की शुरूआत हुई थी। 2008 में महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था। अंतिम आयोजन अप्रैल 2013 में हुआ था। लेकिन उसके बाद से महोत्सव को चुनाव की आड़ में टाले जाने का सिलसिला चल पड़ा। 2014 में लोकसभा, 2015 में विधान सभा, 2016 में पंचायत चुनाव तथा इस साल एमएलसी चुनाव को लेकर महोत्सव को टाल दिया गया है। महोत्सव को टाले जाने से जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं। पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को बताया कि महोत्सव की तारीख को टाला जाना अनुचित है। सांसद निशिकांत दूबे ने फोन पर बताया कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह में महोत्सव आयोजन का जिला प्रशासन का प्रस्ताव अव्यावहारिक है। विधायक सदानंद सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों को आपसी सहयोग से महोत्सव का आयोजन करना होगा। वहीं शहर के वैज्ञानिक तथा विदेशों में परचम लहराने वाले डॉ. अहमद हुसैन ने आपसी सहयोग से महोत्सव आयोजन में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। पीरपैंती के पूर्व विधायक शोभाकांत मंडल ने कहा कि जबतक सड़क खस्ताहाल रहेगी और जाम की समस्या रहेगी तबतक महोत्सव इसी तरह टाला जाता रहेगा।

पूरी तरह नहीं हटा अतिक्रमण

सुलतानगंज । बाथ के असरगंज बाजार स्थित सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व की बैठक में निर्धारित समय सीमा के अंदर महज आधे दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाया गया।

ज्ञातव्य हो कि बीते नौ फरवरी को बाथ थाने की पुलिस एवं स्थानीय दुकानदारों के बीच हुई बैठक में बीस फरवरी तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की बात दुकानदारों द्वारा कही गई थी। थानाध्यक्ष दिलीप सिंह ने बताया कि सभी दुकानदारों को एक बार पुनः चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाएगा। **(नि.सं.)**

स्थापित नहीं स्वयंभू हैं मड़वा के ब्रजलेश्वरनाथ

बिहपुर | **संजय कुमार**

अंग प्रदेश का गौरव मड़वा का ब्रजलेस्वरनाथ महादेव स्वयंभू हैं। उन्हें बड़का बाबा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के पास वाले कुआं का जल चढ़ाने से महादेव भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। यहां महाशिवरात्रि और भादो पूर्णिमा पर भव्य मेला लगता है। यहां पहुंचे शिवभक्तों की सेवा एवं सुरक्षा का ख्याल मेला कमेटी, प्रशासन के साथ-साथ मड़वा के ग्रामीण रखते हैं। यह मंदिर जिला ही नहीं बल्कि अंगप्रदेश का गौरव भी माना जाता है।

मालूम हो कि मड़वा का बाबा ब्रजलेश्वरनाथ महादेव स्थापित नहीं स्वयंभू हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बाबा मंदिर का इतिहास करीब 400 साल से भी अधिक पुराना है। मंदिर का निर्माण तत्कालीन राजा झवन सिंह ने जनसहयोग से करवाया था। जिस जगह पर मंदिर हैं वहां पहले जंगल था। एक चरवाहे की गाय जंगल में रोज एक जगह पहुंचती थी और वहाँ उसका दूध गिरने लगता था। यह बात चरवाहे ने गांव के लोगों को बताई। लोगों ने अगले दिन बात सही होने पर कुदाल से उस जगह को खोदने लगे। इसी दौरान कुदाल एक पत्थर से टकराया और कुदाल में खून लग गया। देखा गया तो वहां शिवलिंग था। उसी रात ग्रामीणों एवं राजा को स्वप्न आया। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं मड़वा के जिप प्रतिनिधि पवन राय, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील चौधरी, कोषाध्यक्ष मनोरंजन राय, सरपंच प्रतिनिधि फन्टुस चौधरी, सचिव दिलीप गुप्ता बताते हैं कि यहां दूर-दूर से लोग पूजा करने आते हैं।

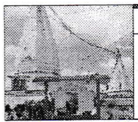

बाबा की कृपा से लड़की की शादी की अड़चनें हो जाती हैं दूर

बाबा ब्रजलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के आचार्य राजेंद्र दास जी महराज बताते हैं कि सबके गुरु शिव हैं। जो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। महाशिवरात्रि में बेलपत्र पर राम लिखकर सौ बेलपत्र बाबा पर अर्पित करें, इससे बाबा प्रसन्न होते हैं। यह भी माना जाता है कि लड़की के विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। बाबा भोले बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, गंगाजल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं।

दुकान जलने से 11 दुकानदार चिंतित

सुल्तानगंज। सुल्तानगंज के चौक बजार स्थित सब्जी मंडी में रविवार की देर रात दुकान जलने से 11 दुकानदार चिंतित हैं। लाखों रुपये का सामान जल जाने से अब ये नुकसान की भरपायी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। नगर परिषद द्वारा आवंटित इन दुकानों में आग कैसे लगा ये लोगों के समझ से परे है।

सोमवार को पीड़ित दुकानदार महफूज आलम, नशीमा खातून, इकबाल, गफ्फार, मकबूल, शकीला बानो, साम, राजीव गुप्ता, रामानंद गुप्ता, केशव कुमार गुप्ता, चन्द्र शेखर गुप्ता ने थाना एवं अंचल अधिकारी को आवेदन दिया और राहत की मांग की है। **(नि.सं.)**

सूचना

सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, सहयोग समितियां, नई दिल्ली के द्वारा बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि. के निदेशक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी दिए गए आदेश के अनुपालन में समाचार पत्र, हिन्दुस्तान (बिहार एवं झारखण्ड) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 23.01.2017 को प्रकाशित सूचना के अनुक्रम में फेडरेशन से **सम्बद्ध बंध समितियों** को सूचित किया जाता है कि दिनांक **16.03.2017 को 10.00 बजे पू.** में होने वाले चुनाव कार्यक्रम (सिडियूल) की विस्तृत जानकारी **फेडरेशन मुख्यालय ललित भवन, बेली रोड, पटना, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दिरा प्लेस, हिनू, राँची एवं कैम्प कार्यालय, कैलाश एपार्टमेंट, देवघर** से प्राप्त किया जा सकता है।

निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव
फेडरेशन लि., पटना (बिहार एवं झारखण्ड)

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय   7, सरदार पटेल मार्ग (बेली रोड), बिहार, पटना–800015

बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 से संबंधित आवश्यक सूचना

पटना, दिनांक : 13 फरवरी, 2017 ई0।

सभी संबंधित को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 के निर्वाचन हेतु घोषणा की गई है, जिसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं:–

1	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	(i) गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (ii) गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (iii) कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (iv) सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
2	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 की घोषणा एवं प्रेस नोट निर्गत करने की तिथि	06.02.2017 (सोमवार)
3	अधिसूचना जारी करने की तिथि	13.02.2017 (सोमवार)
4	नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि	20.02.2017 (सोमवार)
5	नाम संवीक्षा करने की तिथि	21.02.2017 (मंगलवार)
6	अभ्यर्थिताएँ वापस लेने की अंतिम तिथि	23.02.2017 (वृहस्पतिवार)
7	मतदान की तिथि	09.03.2017 (वृहस्पतिवार)
8	मतदान का समय	08:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक
9	मतगणना की तिथि	15.03.2017 (बुधवार)
10	वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा	18.03.2017 (शनिवार)

(बैजूनाथ कुमार सिंह) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

पी.आर.- 13380 (निर्वाचन) 16-17

" मजबूत लोकतंत्र - सबकी भागीदारी "

यूको बैंक

अंचल कार्यालय एस. के. तरफदार रोड, आदमपुर, भागलपुर 812001
Phone : 0641-2301752, 2301754, 2301755, 2020090 Fax:0641-2301758, E-Mail:zo.bhagalpur@ucobank.co.in

सिक्युरिटाइजेशन तथा रिकन्सट्रक्शन ऑफ फिनांशियल एसेट्स एवं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन

ई-नीलामी द्वारा बिक्री की सूचना

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 23.03.2017 को 11:00 पूर्वाह्न से 2:00 अपराह्न तक।

ईएमडी एवं दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 17.03.2017 को अपराह्न 3:00 बजे तक।

नीलामी ऑनलाईन ई-ऑक्शन द्वारा http://ucobank.auctiontiger.net पर की जायेगी।

[illegible]

अचल संपत्तियों का विवरण

क्र.सं.	शाखा का नाम कर्जदार / जमानतदार / बंधककर्ता का नाम	संपत्ति के मालिक का नाम एवं विवरण	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि (रुपये में)	आरक्षित मूल्य / अग्रिम राशि/ बिड वृद्धि राशि	डिमांड नोटिस की तिथि / कब्जा सूचना तिथि
1	शाखा : [illegible]	[illegible]	₹ 2,41,762/- + ब्याज + अन्य खर्च	6.30 Lac .63 Lac 10000/-	24.06.2016 30.03.2016
2	शाखा : कटोरिया	[illegible]	₹ 2,05,871.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	10 Lac 1 Lac 10000/-	23.09.2016 29.12.2016
3	शाखा : कटोरिया	[illegible]	₹ 2,73,497.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	13.60 Lac 1.36 Lac 10000/-	30.09.2016 29.12.2016
4	शाखा : कटोरिया	[illegible]	₹ 7,21,154.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	12.5 Lac 1.25Lac 10000/-	14.09.2016 29.12.2016
5	शाखा : कटोरिया	[illegible]	₹ 5,15,553.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	.45 Lac 045 Lac 10000/-	09.09.2016 29.12.2016
6	शाखा : कटोरिया	[illegible]	₹ 6,74,219.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	12.50 Lac 1.25 Lac 10000/-	09.09.2016 29.12.2016
7	शाखा : कटोरिया	[illegible]	₹ 1,86,896.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	16.30 Lac 1.63 Lac 10000/-	09.09.2016 29.12.2016
8	शाखा : कटोरिया	[illegible]	₹ 3,96,364.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	1. Lac .10 Lac 10000/-	09.09.2016 29.12.2016
9	शाखा : कटोरिया	[illegible]	₹ 9,61,749.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	3.90 Lac .39 Lac 10000/-	23.09.2016 30.12.2016
10	शाखा : [illegible]	[illegible]	₹ 1,41,447/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	5.30Lac .53Lac 10000/-	24.08.2016 10.01.2017
11	शाखा : शंभुगंज मेसर्स पावर फ्यूल सेंटर, प्रो. श्री राजीव कुमार सिंह ग्राम+पो.- शंभुगंज, जिला- बांका	भूमि और भवन के स्वामित्व पार्सल के सभी भाग- श्री राजीव कुमार सिंह, क्षेत्रफल- 38 डिसमिल, खाता नं. 85, खसरा नं. 105 एवं 104, सेलडीड नं. 5638, तिथि- 22.04.2016, थाना नं.- 19, मौजा- [illegible], थाना- शंभुगंज, जिला- बांका, चौहद्दी : उत्तर- सड़क, दक्षिण- सड़क, पूरब- [illegible], पश्चिम- रास्ता	₹ 29,93,924/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	13Lac 1.3 Lac 10000/-	30.03.2016 23.11.2016
12	शाखा : शंभुगंज मेसर्स नेपाली वास्तु भंडार, प्रो. श्री सुबोध साह पिता स्व. [illegible] प्रसाद साह, ग्राम+पो.- शंभुगंज, जिला- बांका	भूमि और भवन के स्वामित्व पार्सल के सभी भाग- श्री सुबोध साह, पिता स्व. [illegible] प्रसाद साह, क्षेत्रफल- 6 डिसमिल, तौजी नं. 4950, खाता नं. 66/16, खेसरा नं. 263/104, सेल डीड नं.- 11910, दिनांक 10.07.1995, थाना नं. 46, मौजा- [illegible], थाना- शंभुगंज, जिला- बांका, चौहद्दी : उत्तर- श्री महादेव ठाकुर एवं श्री दिलीप मंडल, दक्षिण- श्री वासुदेव प्रसाद दास, पूरब- [illegible], पश्चिम- [illegible]	₹ 2,25,640/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	5 Lac .50Lac 10000/-	01.10.2016 23.11.2016

नियम एवं शर्तें

1. संपत्ति **"जैसे है जहां है आधार, जो कुछ भी साधन आधार, जो भी है के आधार पर, बिना उपाश्रय के आधार पर"** पर बेची जाएगी। [illegible]
2. [illegible] 17.03.17 को अप. 3.00 बजे [illegible] यूको बैंक, एस. के. तरफदार रोड, आदमपुर, भागलपुर-812001 के पता पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए।
3. [illegible] **https://ucobank.auctiontiger.net** पर [illegible] 07940230826, [illegible] 09978591888, [illegible] 8877919222, एवं श्री विशाल [illegible] 09879996111 (सम्पर्क नं. 079-40230826/327/825/811/810/800, ई-मेल आईडी : **bihar@auctiontiger.net, rikin@auctiontiger.net, vishal@auctiontiger.net** एवं **support@auctiontiger.net)** की सेवाओं को संलग्न करेगा।
4. [illegible]
5. संपत्ति का मुआयना 10.03.2017 को **पूर्वा. 11.00 बजे और अप. 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। [illegible] मो. नं. 09477923202, **शाखा प्रबंधक (1) शंभुगंज शाखा- श्री संतोष कुमार मिश्रा, मोबाइल नं.-9835875640, (2) [illegible] शाखा- [illegible], मोबाइल नं.: 9934190831 (3) कटोरिया शाखा- श्री अमरेश कुमार, मोबाइल नं.: 09537052611** [illegible]
6. [illegible] रु. 10,000/- [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible] 17430210000359, आईएफएससी कोड UCBA0001743, बैंक का नाम: **यूको बैंक, शाखा, [illegible]**।
10. [illegible] 25% [illegible] 75% 15 दिनों के अंदर जमा [illegible] 30 दिनों की अनिवार्य सूचना भी है [illegible]

सिक्युरिटाइजेशन तथा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनांशियल एसेट्स एवं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत 30 दिन की वैधानिक बिक्री सूचना

[illegible]

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

दिनांक : 20.02.2017, स्थान : भागलपुर   प्राधिकृत पदाधिकारी : यूको बैंक, अंचल कार्यालय, भागलपुर